



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012025-260281
CG-DL-E-17012025-260281

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2025/पौष 26, 1946

No. 35]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2025/PAUSHA 26, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 01/2025-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 50(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), जिसे सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची 1 - 2.5%, में- क्रम संख्या 98क के पश्चात, एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

“98ख.	1904	फ़ोर्टिफ़ाइड राइस कर्नेल (एफआरके)”
-------	------	------------------------------------

- (ख) अनुसूची III- 9%, में- कॉलम (3) क्र.सं. 15 के सामने, “सामान्यतः मुरकी के नाम से ज्ञात” शब्दों के पश्चात “, फ़ोर्टिफ़ाइड राइस कर्नेल (एफआरके)” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ग) अनुसूची VII के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

“(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा(1) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैकेज्ड हो किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमें वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उसपर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणापत्र वहन करना आवश्यक है।”

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 5/2024-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के तहत संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 611(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 01/2025- Central Tax (Rate)

G.S.R. 50(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017- Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in the Schedule I – 2.5%, after S. No. 98A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“98B.	1904	Fortified Rice Kernel (FRK)”;
-------	------	-------------------------------

- (b) in the Schedule III – 9%, against S. No. 15, in column (3), after the words “commonly known as Murki”, the words “, Fortified Rice Kernel (FRK)” shall be inserted;
- (c) after the Schedule VII, in the Explanation, for clause (ii) and the proviso appended to it, the following clause shall be substituted, namely: -

“(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are ‘pre-packed’ as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note: -The principal notification No. 1/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 5/2024 – Central Tax (Rate), dated the 08th October, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 611(E), dated the 08th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 01/2025- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 51(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची 1 - 2.5%, में- क्रम संख्या 98क के पश्चात, एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

“98ख.	1904	फ़ोर्टिफ़ाइड राइस कर्नेल (एफआरके)”
-------	------	------------------------------------

(ख) अनुसूची III- 9%, में- कॉलम (3) क्र.सं. 15 के सामने, “सामान्यतः मुरकी के नाम से ज्ञात” शब्दों के पश्चात “, फ़ोर्टिफ़ाइड राइस कर्नेल (एफआरके)” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) अनुसूची VII के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ii) ‘प्री-पैकेज्ड और लेबल’ वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए है और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा(1) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैकड हो किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमें वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उसपर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणापत्र वहन करना आवश्यक है।”.

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 5/2024- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के तहत संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 612(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 01/2025- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 51(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Union Territory Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in the Schedule I – 2.5%, after S. No. 98A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“98B.	1904	Fortified Rice Kernel (FRK)”;
-------	------	-------------------------------

- (b) in the Schedule III – 9%, against S. No. 15, in column (3), after the words “commonly known as Murki”, the words “, Fortified Rice Kernel (FRK)” shall be inserted;
- (c) after the Schedule VII, in the Explanation, for clause (ii) and the proviso appended to it, the following clause shall be substituted, namely: -

“(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are ‘pre-packed’ as defined in clause (1) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:-The principal notification No. 1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 05/2024 –Union Territory Tax (Rate), dated the 08th October, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 612(E), dated the 08th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 01/2025- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 52(अ).— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) अनुसूची 1 - 5%, में- क्रम संख्या 98क के पश्चात, एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

“98ख.	1904	फ़ोर्टिफ़ाइड राइस कर्नेल (एफआरके)”
-------	------	------------------------------------

- (ख) अनुसूची III- 18%, में- कॉलम (3) क्र.सं. 15 के सामने, “सामान्यतः मुरकी के नाम से ज्ञात” शब्दों के पश्चात “, फ़ोर्टिफ़ाइड राइस कर्नेल (एफआरके)” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

- (ग) अनुसूची VII के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा(1) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैकेज्ड हो किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमें वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उसपर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणापत्र वहन करना आवश्यक है।”

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 5/2024- एकीकृत कर (दर), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के तहत संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 613(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 01/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 52(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 and Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Integrated Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, namely:

In the said notification, -

- (a) in the Schedule I – 5%, after S. No. 98A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“98B.	1904	Fortified Rice Kernel (FRK)”;
-------	------	-------------------------------

(b) in the Schedule III – 18%, against S. No. 15, in column (3), after the words “commonly known as Murki”, the words “, Fortified Rice Kernel (FRK)” shall be inserted;

- (c) after the Schedule VII, in the Explanation, for clause (ii) and the proviso appended to it, the following clause shall be substituted, namely: -

“(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are ‘pre-packed’ as defined in clause (1) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 5/2024 –Integrated Tax (Rate), dated the 08th October, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 613(E), dated the 08th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 02/2025-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 53(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) अनुसूची में, क्रम संख्या 105 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

“105क.	30	जीन थेरेपी”;
--------	----	--------------

(ख) खंड (ii) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा(1) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैकेज्ड हो किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमें वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उसपर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणापत्र वहन करना आवश्यक है।”

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2024-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 399(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 02/2025- Central Tax (Rate)

G.S.R. 53(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017- Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in the Schedule, after S. No. 105 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“105A.	30	Gene Therapy”;
--------	----	----------------

(b) in the Explanation, for clause (ii) and the proviso appended to it, the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are ‘pre-packed’ as defined in clause (1) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 2/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended vide notification No. 3/2024 – Central Tax (Rate), dated the 12th July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 399(E), dated the 12th July, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 02/2025-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 54(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची में, क्रम संख्या 105 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

“105क.	30	जीन थैरेपी”;
--------	----	--------------

(ख) खंड (ii) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए है और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा(1) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैकेज्ड हो किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमें वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उसपर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणापत्र वहन करना आवश्यक है”।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2024-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 401(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 02/2025- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 54(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.711(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in the Schedule, after S. No. 105 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“105A.	30	Gene Therapy”;
--------	----	----------------

- (b) in the Explanation, for clause (ii) and the proviso appended to it, the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are ‘pre-packed’ as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 2/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 03/2024-Union Territory Tax (Rate) dated the 12th July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 401(E), dated the 12th July, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 02/2025-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 55(अ).— एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 677(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) अनुसूची में, क्रम संख्या 105 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

“105क.	30	जीन थेरेपी”;
--------	----	--------------

(ख) खंड (ii) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा(1) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैकेज्ड हो किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमें वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उसपर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणापत्र वहन करना आवश्यक है।”

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 677(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2024- एकीकृत कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 400(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 02/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 55(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in the Schedule, after S. No. 105 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“105A.	30	Gene Therapy”;
--------	----	----------------

- (b) in the Explanation, for clause (ii) and the proviso appended to it, the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are ‘pre-packed’ as defined in clause (1) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:-The principal notification No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 03/2024-Integrated Tax (Rate) dated the 12th July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 400(E), dated the 12th July, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 03/2025-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 56(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1310 (अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम 3 में, शब्द और प्रतीक, “(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)” के पश्चात शब्द और प्रतीक, “(ग) उपरोक्त (क) के लिए खाद्य इनपुट” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 39/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1310(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत संशोधन किया गया था, जिसे सा.का.नि. 696(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 03/2025- Central Tax (Rate)

G.S.R. 56(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2017-Central Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1310(E), dated the 18th October, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, in column 3, after the end of words and symbols “(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government”, the words and symbols, “(c) food inputs for (a) above.” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 39/2017- Central Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1310(E), dated the 18th October, 2017 and was last amended *vide* notification No. 11/2021 – Central Tax (Rate), dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 696(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 03/2025-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 57(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1312 (अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम 3 में, शब्द और प्रतीक, “(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)” के पश्चात शब्द और प्रतीक, “(ग) उपरोक्त (क) के लिए खाद्य इनपुट” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 39/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1312(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2021-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत संशोधन किया गया था, जिसे सा.का.नि. 706(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 03/2025- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 57(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.39/2017-Union territory Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1312(E), dated the 18th October, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, in column 3, after the end of words and symbols “(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government”, the words and symbols, “(c) food inputs for (a) above.” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 39/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1312(E), dated the 18th October, 2017 and was last amended *vide* notification No. 11/2021 – Union Territory Tax (Rate), dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 706(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 03/2025-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 58(अ).— एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1311 (अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम 3 में, शब्द और प्रतीक, “(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)” के पश्चात शब्द और प्रतीक, “(ग) उपरोक्त (क) के लिए खाद्य इनपुट” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 39/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1311(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2021- एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत संशोधन किया गया था, जिसे सा.का.नि. 701(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 03/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 58(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.40/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1311(E), dated the 18th October, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, in column 3, after the end of words and symbols “(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government”, the words and symbols, “(c) food inputs for (a) above.” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 40/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1311(E), dated the 18th October, 2017, and was last amended *vide* notification No. 11/2021 – Integrated Tax (Rate), dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 701(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 04/2025-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 59(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 82(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि “6%” के स्थान पर, प्रविष्टि “9%” प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 8/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 82(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 04/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 59(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/2018-Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 82(E), dated the 25th January, 2018, namely :-

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 4, in column (4), for the entry “6%”, the entry “9%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]
AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 8/2018-Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 82(E), dated the 25th January, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 04/2025- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 60(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2018- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि “6%” के स्थान पर, प्रविष्टि “9%” प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 8/2018-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 04/2025-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 60(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendation of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/2018-Union Territory Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 90(E), dated the 25th January, 2018, namely :-

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 4, in column (4), for the entry “6%”, the entry “9%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 8/2018-Union Territory Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 90(E), dated the 25th January, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 04/2025- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 61(अ).— एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि "12%" के स्थान पर, प्रविष्टि "18%" प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 9/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 862(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 04/2025-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 61(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendation of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 9/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 86(E), dated the 25th January, 2018, namely :-

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 4, in column (4), for the entry "12%", the entry "18%" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 9/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 86(E), dated the 25th January, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 01/2025-प्रतिकर उपकर (दर)

सा.का.नि. 62(अ).— केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1) और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा किया जाना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, निर्यात के लिए एक पंजीकृत प्राप्तकर्ता को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा कर लगने योग्य वस्तुओं (एतश्मिन पश्चात जिसे इस अधिनियम में उक्त वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) पर, राज्य के भीतर आपूर्ति पर माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 के तहत इन पर लगने वाले प्रतिकर जो 0.1 प्रतिशत की दर से गणना की गयी राशि से अधिक है, पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन एतदद्वारा छूट प्रदान करता है, नामतः

- (i) पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, पंजीकृत प्राप्तकर्ता को टैक्स इनवॉइस पर वस्तुओं की आपूर्ति करेगा;
- (ii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा टैक्स इनवॉइस जारी करने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर उक्त सामान का निर्यात करेगा;
- (iii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की माल एवं सेवा कर की पहचान संख्या एवं उक्त वस्तुओं के सम्बंध में पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी टैक्स इन्वॉइस संख्या, शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल, जैसा भी मामला हो में दर्शाएगा;
- (iv) पंजीकृत प्राप्तकर्ता का निर्यात संवर्धन परिषद अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मद सम्बन्धी बोर्ड द्वारा पंजीकरण किया जाएगा;
- (v) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, रियायती दर पर वस्तुएँ खरीदने के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को आदेश जारी करेगा तथा इसकी एक प्रति पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;
- (vi) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के स्थान से उक्त वस्तुओं को सीधे –
 - (क) बंदरगाह, इनलंद कंटेनर डीपो, हवाई अड्डा अथवा लैंड कस्टम्ज़ स्टेशन पर जहां से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है, ले जाएगा; या
 - (ख) किसी पंजीकृत वेयर हाउस पर जहां से उक्त वस्तुओं को बंदरगाह, इनलंद कंटेनर डीपो, हवाई अड्डा अथवा लैंड कस्टम्ज़ स्टेशन पर ले जाएगा जहां से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है।
- (vii) यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता, कई पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त हुई आपूर्ति को समेकित करके फिर निर्यात करना चाहता है तो प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की वस्तुएँ, पंजीकृत वेयर हाउस को भिजवाई जाएगी तथा समेकन के पश्चात पंजीकृत प्राप्तकर्ता वस्तुओं को बंदरगाह, इनलंद कंटेनर डीपो, हवाई अड्डा अथवा लैंड कस्टम्ज़ स्टेशन पर ले जाएगा जहां से उनका निर्यात किया जाएगा;

- (viii) इस मामले में शर्त (vii) में बतायी गयी स्थिति में पंजीकृत प्राप्तकर्ता, टैक्स इन्वॉस पर वस्तुओं की प्राप्ति पृष्ठांकित करेगा और वेयर हाउस ऑपरेटर से पंजीकृत वेयर हाउस में वस्तुओं की आवृत्ति प्राप्त करेगा तथा पृष्ठांकित टैक्स इन्वॉस और वेयर हाउस ऑपरेटर की पावती, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को तथा ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;
- (ix) जब वस्तुएँ निर्यात कर दी जाती हैं तो पंजीकृत प्राप्तकर्ता शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल जिसमें जीएसटीआईएन का ब्यौरा और पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की टैक्स इन्वॉस आंकित हो तथा इसके साथ एक्सपोर्ट जेनरल मैनिफेस्ट या सबूत या पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को और ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को दायर की गयी निर्यात रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएगा।
2. यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता उक्त वस्तु के निर्यात में कर बीजक के जारी होने के 90 दिनों के भीतर असफल रहता है तो उक्त संदर्भित ड्यूट के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता पात्र नहीं होगा।
3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइम्स, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 01/2025-Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 62(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with sub-section (1) of section 11 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017) and sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (2) of section 11 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-state and inter-state supply of taxable goods (hereafter in this notification referred to as “the said goods”) by a registered supplier to a registered recipient for export, from so much of the compensation cess leviable thereon under section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), as is in excess of the amount calculated at the rate of 0.1 per cent., subject to fulfilment of the following conditions, namely: -

- (i) the registered supplier shall supply the goods to the registered recipient on a tax invoice;
- (ii) the registered recipient shall export the said goods within a period of ninety days from the date of issue of a tax invoice by the registered supplier;
- (iii) the registered recipient shall indicate the Goods and Services Tax Identification Number of the registered supplier and the tax invoice number issued by the registered supplier in respect of the said goods in the shipping bill or bill of export, as the case may be;
- (iv) the registered recipient shall be registered with an Export Promotion Council or a Commodity Board recognized by the Department of Commerce;
- (v) the registered recipient shall place an order on registered supplier for procuring goods at concessional rate and a copy of the same shall also be provided to the jurisdictional tax officer of the registered supplier;
- (vi) the registered recipient shall move the said goods from place of registered supplier –
 - (a) directly to the Port, Inland Container Depot, Airport or Land Customs Station from where the said goods are to be exported; or
 - (b) directly to a registered warehouse from where the said goods shall be move to the Port, Inland Container Depot, Airport or Land Customs Station from where the said goods are to be exported;
- (vii) if the registered recipient intends to aggregate supplies from multiple registered suppliers and then export, the goods from each registered supplier shall move to a registered warehouse and after

aggregation, the registered recipient shall move goods to the Port, Inland Container Depot, Airport or Land Customs Station from where they shall be exported;

- (viii) in case of situation referred to in condition (vii), the registered recipient shall endorse receipt of goods on the tax invoice and also obtain acknowledgement of receipt of goods in the registered warehouse from the warehouse operator and the endorsed tax invoice and the acknowledgment of the warehouse operator shall be provided to the registered supplier as well as to the jurisdictional tax officer of such supplier; and
- (ix) when goods have been exported, the registered recipient shall provide copy of shipping bill or bill of export containing details of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) and tax invoice of the registered supplier along with proof of export general manifest or export report having been filed to the registered supplier as well as jurisdictional tax officer of such supplier.

2. The registered supplier shall not be eligible for the above-mentioned exemption if the registered recipient fails to export the said goods within a period of ninety days from the date of issue of tax invoice.

3. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 01/2025-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 63(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके बाद इसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा जाएगा) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी उपकरणों और उपभोग्य नमूनों को, जब उनका भारत में आयात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षण दल द्वारा किया जाता है, तो उन पर प्रभार्य प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपूर्ण सीमाशुल्क से और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अंतर्गत उन पर लगने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट देती है, अर्थात:-

- (क) आयातक को परमाणु ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव या उप सचिव से उपकरणों और उपभोग्य नमूनों की विधिवत प्रमाणित सूची के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि ऐसे उपकरण और नमूने एप्लीकेशन ऑफ़ सेफगाइर्स टू सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज की शर्तों के अनुसार सत्यापन एवं निरीक्षण करने के लिए आवश्यक हैं; और
- (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव या उप सचिव, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, पत्र-शीर्ष पर इस आशय का एक वचन देंगे कि ऐसे उपकरणों को उनके आयात के छह महीने के भीतर या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा इस संबंध में अनुमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा और उपभोग्य नमूने इच्छित उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं एवं इसका हिसाब रखा जाएगा।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव